4. कॉल सेन्टर के माध्यम से सूचना देने के लिए लोक सूचना पदाधिकारी को कॉल सेन्टर से सूचना प्राप्ति के बाद की अवधि से गणना की जाने वाली निर्धारित अवधि के अन्दर आवेदक को सूचना उपलब्ध कराना होगा। नियमावली में वर्णित किसी कारण के आधार पर यदि आवेदक अपील करना चाहे तो वह कॉल सेन्टर के माध्यम से, अपील हेतु निर्धारित अवधि के अन्दर सक्षम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

5. यह सुविधा केवल बिहार राज्य में लागू होगी। यह सुविधा मात्र बी.एस.एन.एल. के बेसिक फोन से ही उपलब्ध होगी। मोबाइल सेवा से यह सुविधा प्राप्त नहीं होगी।

6. कॉल सेन्टर से फैक्स द्वारा अग्रसारित किये जाने वाले आवेदन पर आवेदक/अपीलकर्त्ता या अन्य किसी का हस्ताक्षर नहीं होगा। कम्प्युटरीकृत होने के कारण यह आवेदन हस्ताक्षरित नहीं रहने पर भी मान्य होगा।

7. सभी विभाग/विभागाध्यक्ष अपने विभाग/कार्यालय के लोक सूचना पदाधिकारी, सहायक लोक सूचना पदाधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारों के नाम, पदनाम, पता, दूरभाष सं0, मोबाइल सं0, फैक्स सं0 एवं ई–मेल संबंधित सूचनाएँ ''जानकारी'' (कॉल सेन्टर) को सुलभ कराते हुए राज्य सूचना आयोग को भी सुलभ कराने का कष्ट करें।

उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में इस अधिनियम से संबंधित पूर्व निर्गत आदेश एवं नियमावली में अंकित नियम अक्षुण्ण रहेगें।

विश्वासभाजन,

[signature] 25.1.07

(गोकुल किशोर दत्त)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – ग्रा० वि० [illegible] (रा०प०) – 18/2006 1348

पटना, दिनांक 12/2/07

प्रतिलिपि – अपीलीय प्राधिकारी ([illegible], उप सचिव) ग्रा० वि० विभाग / सभी लोक सूचना पदाधिकारी (श्री [illegible] प्रसाद, उप सचिव / श्री [illegible], अवर सचिव / श्री [illegible] राम, अवर सचिव / श्री [illegible] कुमार [illegible], अवर सचिव), ग्रा० वि० विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 12/2/07
उप सचिव, ग्रा० वि० वि०

ज्ञापांक 1348 पटना दिनांक 12/2/07

प्रतिलिपि – विभाग के सभी पदाधिकारी / आप्त सचिव, सचिव के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० 12/2/07
उप सचिव, ग्रा० वि० वि०